

31.01.2022:—आज यह पत्रावली प्रार्थीया वकील के y me  
निवेदन पर पेशी में ली गई। प्रार्थीया ने निवेदन  
किया कि मूल वादपत्र में राजीनामा हो गया है।  
इस कारण प्रार्थीया उक्त प्रार्थना-पत्र में कोई  
कार्यवाही नहीं चाहती। इस कारण प्रार्थीया को  
उक्त प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे।

अतः प्रार्थना-पत्र मूल वादपत्र में  
राजीनामा होने के कारण मौजूदा सूरत में ही  
खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम  
की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल  
दफतर हो ।

सत्यमेव जयते

र(डा) अवि गग  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलक्टर  
हनुमानगढ



Web Copy - Not